भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1516
मंगलवार, 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण,1948(शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का आधुनिकीकरण

1516. **श्री विजय बघेलः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कम्प्यूटरीकरण के बावजूद प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) /सेवा सहकारी समितियां अभी भी किसानों को कृषि ऋण, बीज और उर्वरकों के वितरण के लिए विभिन्न मैनुअल रजिस्टरों का ही उपयोग कर रहे हैं जिससे प्रक्रिया धीमी और अधिक समय वाली हो जाती है और किसानों को इन सेवाओं का लाभप्राप्त करने के लिए पूरे दिन समिति में बिताना पड़ता है

(ख) क्या सरकार का विचार केवल ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि, अभिलेख सत्यापन और आधार-आधारित प्रमाणीकरण पर आधारित आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाकर इस समस्या का समाधान करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो किसानों द्वारा सामना की जा रही उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क से ग) मैन्युअल रजिस्टरों के माध्यम से ऋण वितरण और कृषि इनपुट के प्रबंधन की समस्या को दूर करने के लिए, वर्ष 2022 में पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य पैक्स को ईआरपी-आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने व्यावसायिक संचालन करने में सक्षम बनाकर इस समस्या का समाधान करना है। इससे अभिलेखों का ऑनलाइन रख-रखाव, पारदर्शी लेखांकन, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध समाधान , ऋण प्रक्रिया में तेजी, लेनदेन लागत में कमी तथा सदस्यों को बेहतर सेवा प्रदान करना संभव होता है।

परियोजना के अंतर्गत डिजिटल लेनदेन को सुगम बनाने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, वेबकैम और बायोमेट्रिक उपकरण सहित हार्डवेयर तथा सुरक्षित कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ आधार-आधारित प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकरणों के लागू दिशा-निर्देशों तथा संबंधित योजनाओं और बैंकिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

सरकार ने **पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना** के अधीन पैक्स के डिजिटल कार्यकरण में सुविधा तथा किसानों को बेहतर सेवा प्रदाय हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए एक कॉमन ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और उसे कार्यान्वित किया गया है । यह सॉफ्टवेयर सदस्यता प्रबंधन, ऋण प्रचालन, जमा, उर्वरक और बीज वितरण, इन्वेंटरी प्रबंधन, लेखांकन, संपरीक्षा, एमआईएस और अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए एकीकृत मॉड्यूल्स प्रदान करता है ।

(ii) डिजिटल अभिलेख प्रबंधन को सुगम बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और मैनुअल अभिलेखन पर निर्भरता कम करने के लिए पैक्स के लीगेसी डेटा को डिजिटलीकृत करके ईआरपी प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया गया है ।

(iii) ईआरपी सॉफ्टवेयर के प्रभावी अंगीकरण और उपयोग के लिए पैक्स कार्मिकों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की गई है ।

(iv) ईआरपी सॉफ्टेवयर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है जो निर्बाध बैंकिंग प्रचालन और डिजिटल सेवा प्रदाय को सक्षम बनाता है ।

(v) यह सॉफ्टवेयर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अनवरत संवर्धन और अनुकूलन द्वारा राज्य विशिष्ट व्यावसायिक अपेक्षाओं और प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं को अंतर्विष्ट करता है ।

(vi) डिजिटल लेनदेन के अंगीकरण और ईआरपी सॉफ्टवेयर के प्रभावी उपयोग में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, नाबार्ड, सिस्टम इंटीग्रेटरों और अन्य हितधारकों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है ।
